

नि.सहा./स्वा. आयुक्त/ 1092
दिनांक 13/7/16 मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 21/06/2016

क्रमांक एफ 12-29/2015/सत्रह/मेडि-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न परिशिष्ट में वर्णित अनुसार प्रदेश में नवीन 2000 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

1. प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ए.एन.एम. का एक नियमित पद स्वीकृत किया गया है जिसका वेतनमान रुपये 5200-20200+2100ग्रेड-पे निर्धारित है । वर्तमान में इन स्वास्थ्य केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्ध संविदा ए.एन.एम. पदस्थ किये जायेंगे ।
2. किराए के भवनों की व्यवस्था कर इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों का यथाशीघ्र संचालन प्रारंभ किया जावेगा ।
3. इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण एवं फर्नीचर उपकरण हेतु आवश्यक व्यय की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की जावेगी ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 151/R449/BG/16 दिनांक 25/06/2016 के अनुक्रम में जारी की जा रही है

(Handwritten signature)
स्वा. आयुक्त (प्रमुख)

(Handwritten initials)

(Handwritten signature)
(उपेन्द्र नाथ शर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


पृष्ठांकन क्रमांक एफ 12-29/2015/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 21/06/2016

प्रतिलिपि :

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
5. सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय ।

6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश (कृपया आदेश वेवसाईट पर अपलोड कराने का काम करें) ।
 7. आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश भोपाल ।
 8. संभागीय आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
 9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
 10. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 11. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
 12. आर्डर फाईल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग